



# भारत का राजपत्र

# The Gazette of India

सी.जी.-सी.जी.-अ.-20062025-264018  
CG-CG-E-20062025-264018

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2692]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 20, 2025/ज्येष्ठ 30, 1947

No. 2692]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 20, 2025/JYAISTHA 30, 1947

रेल मंत्रालय

(दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे)

अधिसूचना

बिलासपुर, 19 जून, 2025

का.आ. 2757(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) की धारा 2 के खंड 37ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सार्वजनिक उद्देश्य से राष्ट्रीय अवसरंचना मुहैया कराने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में नीचे दी गयी सारणी के कालम (2) में उल्लेखित निम्नलिखित परियोजना को अधिसूचित करती है, जो कि सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी।

## सारणी

क्रमांक सं.	परियोजना का नाम
(1)	(2)
1.	बिलासपुर डिवीजन - एमडब्ल्यूआरएन-एसआरबीए के बीच नियंत्रण रेखा संख्या सीजी-12 के स्थान पर आरयूबी का निर्माण। (बॉक्स पुशिंग विधि द्वारा)

[फा. सं. डीवाई.सीई/जीएसयू/ वी एस पी/आर ओ वी /एल सी संख्या CG-12/भूमि अधिग्रहण]  
संजय बा. नागभिडकर, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/सी/आरएसपी

**MINISTRY OF RAILWAYS**  
**(S.E.C. Railway)**  
**NOTIFICATION**

Bilaspur, the 19th June, 2025

**S.O. 2757(E).**—In exercise of powers conferred by clause 37A of section 2 of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), the Central Government hereby notifies the following projects as mentioned in column (2) of the Table below as Special Railway Projects in the State of Chhattisgarh for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in official gazette.

TABLE

<b>Serial Number</b>	<b>Name of Project</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>
1.	“Bilaspur Division - Construction of RUB in lieu of LC No. CG-12 between MWRN-SRBA.(By Box pushing method).”.

[F. No. DY.CE/GSU/BSP/ROB/LC No. CG-12/land acquisition]  
 SANJAY B. NAGBHIDKAR, Chief Administrative Officer/C/RSP